HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9312/2026
CNR: RJHC010670472026
URN: CRLMB / 20236U / 2026

1. Manish S/o Shri Hanumanchand, Aged About 30 Years, R/o Sangam Vihar Colony, Merta City, District Nagaur. Confined At Central Jail Jodhpur
2. Ladu Singh S/o Shri Sohan Singh, Aged About 40 Years, R/o Khejarla, Police Station Bilara, District Jodhpur. (Confined At Central Jail Jodhpur)
3. Hemaram Alias Hemant S/o Om Prakash, Aged About 30 Years, R/o Devariya, Police Station Jaitaran, District Beawar. Confined At Central Jail Jodhpur

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Dilip Singh Udawat
For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2026

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बोरुन्दा, जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 व 54क राजस्थान आबकारी अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रकरण आबकारी अधिनियम से संबंधित है। रघुवीर सिंह के नाम से आबकारी का लाईसेंस है, लादूसिंह उसका सेल्समैन है तथा मनीष वाहन चालक है, रूट परमिट उनके पास था, परंतु जिस रूट का परमिट था, उससे भिन्न रूट पर वाहन चलाने के लिये प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है।

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण दिनांक 04.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के खिलाफ इससे पूर्व कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. मनीष पुत्र हनुमानचंद, 2. लादूसिंह पुत्र सोहनसिंह तथा 3. हेमाराम उर्फ हेमन्त पुत्र ओमप्रकाश,** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी–अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक–एक लाख रुपये के मुचलके एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

37/Divyashri Maru/677